न्यायालयः—अतिरिक्त मोटर दुघर्टना दावा अधिकरण गोहद जिला भिण्ड म०प्र० प्रकरण क्रमांक ३४ / १३ क्लेम संस्थापित दिनांक १८.१२.२०१३

- 1. श्रीमती ऊषादेवी पत्नी स्व. श्रीकृष्ण उम्र 30 वर्ष।
- 2. कु0 रजनी पुत्री स्व. श्रीकृष्ण उम्र ८ वर्ष।
- 3. कु0 खुशबू पुत्री स्व. श्रीकृष्ण उम्र 6 वर्ष।
- 4. आलोक पुत्र स्व. श्रीकृष्ण उम्र ४ वर्ष। नावालिग सरपरस्त मॉ खुद ऊषादेवी पत्नी स्व. श्रीकृष्ण।
- 5. रामजीलाल पुत्र प्रभूदयाल उम्र 60 वर्ष।

एवं

प्रकरण क्रमांक 04 / 14 क्लेम संस्थापित दिनांक 06—01—2014 श्रीमती ऊषा देवी पत्नी स्व. श्रीकृष्ण उम्र 30 साल | निवासी ग्राम बंधा वरथरा थाना गोहद तह. गोहद जिला भिण्ड म0प्र0 |

बनाम

- 1. देवेन्द्र शर्मा पुत्र श्रीप्रकाश शर्मा उम्र 25 साल। निवासी परोसा थाना गोरमी तहसील मेहगांव जिला भिण्ड.म०प्र०। ———**वाहन चालक**
- 2. कमलेश सिंह पुत्र अमरसिंह उम्र 26 साल। निवासी नंद का पुरा तहसील पोरसा जिला मुरैना म.प्र.। ——————**वाहन स्वामी**
- 3. मण्डल प्रबंधक महोदय, दि ओरिऐन्टल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड, शाखा कार्यालय एम.एस.रोड मुरैना म.प्र.।

_____अनावेदकगण

आवेदकगण द्वारा श्री जी.एस.निगम अधिवक्ता अनावेदक कं0 1, 2 द्वारा श्री टी.एन.शुक्ला अधिवक्ता अनावेदक कं0 3 द्वारा श्री रवि वाजपेयी अधिवक्ता

/ / अधि—निर्णय / / / / आज दिनांक 9—5—15 को घोषित किया गया / /

01. आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत आवेदनपत्र धारा 166 मोटरयान अधिनियम का निराकरण इस आदेश के द्वारा किया जा रहा है जो कि क्लेम प्रकरण क्रमांक 34/13 आवेदिका ऊषा देवी एवं उसके नावालिंग संतानों तथा उसके सास ससुर की ओर से मृतक श्रीकृष्ण की दुर्घटना के फलस्वरूप मृत्यु हो जाने के कारण प्रतिकर की राशि बावत् पेश किया गया है तथा क्लेम प्रकरण क्रमांक 04/2014 जो कि श्रीमती ऊषा देवी के द्वारा उपरौक्त दुर्घटना में उसे आई हुई उपहित के फलस्वरूप क्षतिपूर्ति दिलाए जाने बावत् पेश किया गया है जो कि दोनों ही प्रकरण समेकित होने से दोनों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है। 02. यह अविवादित है कि वाहन मार्शल क्रमांक एम.पी. 06—बी—2298 अनावेदक क्रमांक 2 के स्वामित्व की है। यह भी अविवादित है कि उक्त वाहन को अनावेदक क्र. 01 चालक था। उक्त वाहन अनावेदक क्रमांक 3 बीमा कम्पनी में बीमित होना भी अविवादित है।

क्लेम प्रकरण कमांक 34/13 के संक्षिप्त तथ्य -

03. आवेदकगण के द्वारा प्रस्तुत उक्त आवेदनपत्र संक्षेप में इस प्रकार से है कि दिनांक 15.09.13 को श्रीकृष्ण अपनी पत्नी आवेदिका क्रमांक 1 ऊषा के साथ मोटरसाइकिल से मेहगांव से गोरमी के लिए जा रहा था साथ में उसका छोटा भाई संजय भी मोटरसाइकिल से गोरमी जा रहा था। जैसे ही दोनियाँपुरा के पास पहुँचे तो उसी समय गोरमी की तरफ से एक मार्शल जिसका रजिस्ट्रेशन क्रमांक एम.पी. 06—बी—2298 का चालक अनावेदक क्रमांक 1 देवेन्द्र शर्मा तेजी व लापरवाही से चलाकर लाया और श्रीकृष्ण की मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी जिससे श्रीकृष्ण और उसकी पत्नी ऊषा देवी को चोटें आई। श्रीकृष्ण को 108 एम्बूलेंश में लेकर मेंहगाँव आए थे। श्रीकृष्ण की मृत्यु हो गई थी। आवेदिका ऊषा देवी को भी चोटें आई, उसे मेहगाँव से ग्वालियर रिफर कर दिया गया। घटना की रिपोर्ट उसके भाई संजय के द्वारा पुलिस को हॉस्पीटल मेहगांव में दर्ज कराई गई जो कि थाना गोरमी में अपराध क्रमांक 235/13 धारा 279, 337, 338, 304ए भाठदं०वि० का पंजीबद्ध कर विवेचना उपरांत

अभियोगपत्र न्यायालय में पेश किया गया और इस संबंध में पुलिस थाना गोरमी में अनावेदक क्रमांक 1 के विरूद्ध अभियोगपत्र न्यायालय में पेश किया गया। मृतक का पोस्टमार्टम स्वास्थ केन्द्र मेहगांव में कराया गया।

4. आवेदनपत्र में आगे यह भी बताया गया है कि आवेदिका क्रमांक 1 ऊषा देवी मृतक श्रीकृष्ण की विवाहिता पत्नी है और आवेदक क्रमांक 2 लगायत 3 उसकी नावालिग पुत्रियाँ व आवेदक क्रमांक 4 नावालिग पुत्र है एवं 5 व 6 उसके पिता व माँ है जो कि मृतक पर आश्रित है और उसके द्वारा ही उनका भरण पोषण किया जाता था। दुर्घटना के समय मृतक श्रीकृष्ण की उम्र 33 वर्ष की थी और वह संविदा शिक्षाकर्मी वर्ग—3 के रूप में सेवा में था और उसे पांच हजार रूपए मासिक वेतन प्राप्त होता था और उसी से उसके परिवार का भरण पोषण आदि होता था और उसकी आय पर ही उसके परिवार वाले आश्रित थे। मृतक असमायिक मृत्यु होने के कारण आय की क्षति एवं भविष्य में प्राप्त होने वाली आए का नुकसान हुआ है। इसके अतिरिक्त उसकी विवाहिता पत्नी को दाम्पत्य सुखों से बंचित होना पड़ा है तथा दाह संस्कार में भी खर्च हुआ है। उक्त दुर्घटना अनावेदक क्रमांक 1 के द्वारा अनावेदक क्रमांक 2 के स्वामित्व के वाहन को तेजी व लापरवाही से चलाए जाने के फलस्वरूप घटित हुई है। आवेदकगण ग्राम बरथरा थाना व तहसील गोहद के स्थाई निवासी है। गोरमी में मृतक अस्थाई रूप से निवास करता था। ऐसी दशा में न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत प्रकरण पेश किया गया। उक्त परिप्रेक्ष्य में क्षतिपूर्ति के रूप में कुल 68,40,000 / — रूपए दिलाए जाने का निवेदन किया गया। है।

क्लेम प्रकरण कमांक 04/2014 के संक्षिप्त तथ्य-

05. उपरोक्त संबंध में आवेदिका ऊषा देवी द्वारा प्रस्तुत आवेदनपत्र में यह बताया गया है कि घटना दिनांक 15.09.2013 को आवेदिका अपने पित श्रीकृष्ण के साथ मेहगांव से मोटरसाइकिल से गोरमी के लिए बापस जा रहा था जहाँ कि वह अस्थाई रूप से निवास करता है और स्थाई रूप से वह ग्राम बरथरा थाना गोहद के निवासी है। उसके पित जो कि मोटरसाइकिल चला रहे थे और वह उसमें पीछे बैठी हुई थी, दौनियां पुरा के पास पहुँचने पर जीप क्रमांक एम.पी. 06—बी—2298 के चालक अनावेदक क्रमांक 1 गोरमी की तरफ से वाहन को तेजी व लापरवाही से चलाकर लाया और उसके पित के द्वारा चलाई जा रही मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी। उसके पित की दुर्घटना में मृत्यु हो गई तथा आवेदिका को दाहिनी तरफ पसलियों में फ्रेक्चर हो गया और तीन जगह पसलियां टूट गई। उसे मेहगांव अस्पताल में प्रारंभिक उपचार कर जे.ए.एच. ग्वालियर भेजा गया। घटना की रिपोर्ट उसके देवर संजय के द्वारा लिखाई गई जिस पर से पुलिस थाना गोरमी के द्वारा अनावेदक क्रमांक 1 के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध कर कार्यवाही की गई है। आवेदिका उक्त दुर्घटना में आई

हुई चोटों के फलस्वरूप वह जे.ए.एच. ग्वालियर में करीब 12 दिन भर्ती रही। आवेदिका 30 वर्ष की उम्र की युवती थी जो कि गृह कार्य के साथ साथ सिलाई का कार्य कर के पांच सौ रूपए प्रित दिन इस प्रकार 15 हजार रूपए प्रित माह वह आमंदनी अर्जित कर लेती थी। उक्त दुर्घटना में आई हुई चोटों के फलस्वरूप वह काम करने एवं आमंदनी अर्जित करने लायक नहीं रह सकी है। इसके अतिरिक्त इलजा में 70,000/— रूपए व्यय हुए और उसका इलाज निरंतर चल रहा है जो कि पांच हजार रूपए प्रित माह खर्च आ रहा है। डॉक्टर के द्वारा 6 महीनं तक आराम की सलाह दी है और चार महीने वह कोई काम नहीं कर पाई। इसके अतिरिक्त उसे पोस्टिक आहार का भी सेवन करना पड़ा और इलाज हेतु आने जाने में भी खर्च हुआ। उक्त दुर्घटना अनावेदक क्रमांक 1 के द्वारा अनावेदक क्रमांक 2 के स्वामित्व के वाहन जो कि अनावेदक क्रमांक 3 बीमा कम्पनी में बीमित था से घटित हुई है। आवेदिका ग्राम बरथरा थाना एवं तहसील गोहद की स्थाई निवासी है। ऐसी दशा में क्षतिपूर्ति के रूप में अनावेदकगण से संयुक्त एवं पृथक पृथक रूप से 2,48,000/— रूपए प्रतिकर स्वरूप दिलाए जाने का निवेदन किया है।

06. उपरोक्त दोनों ही क्लेम आवेदनपत्रों के जबाव में अनावेदक क्रमांक 1 व 2 के द्वारा स्वीकृत तथ्यों के अतिरिक्त आवेदनपत्र में किए गए अभिवचनों को अस्वीकार करते हुए अनावेदक क्रमांक 1 के द्वारा प्रश्नाधीन वाहन को तेजी व लापरवाही से चलाकर कोई भी दुर्घटना कारित करने के तथ्य को इंनकार किया है। उनके द्वारा यह बताया गया है कि उनके वाहन का नम्बर लिखाकर झूठी रिपोर्ट की गई है। प्रश्नाधीन वाहन के द्वारा कोई भी दुर्घटना कारित नहीं की गई है। इस प्रकार अनावेदक क्रमांक 1 व 2 का क्षतिपूर्ति अदायगी हेतु कोई दायित्व नहीं है। वैकल्पिक रूप से उनके द्वारा यह भी निवेदन किया गया है कि यदि क्षतिपूर्ति का कोई दायित्व आता भी है तो उसकी अदायगी का दायित्व अनावेदक क्रमांक 3 बीमा कम्पनी का है। उनके संबंध में आवेदनपत्र निरस्त किया जाता है।

07. अनावेदक क्रमांक 3 बीमा कम्पनी के द्वारा भी अपने जबाव में दोनों क्लेम प्रकरणों में आवेदकगण द्वारा पेश किए गए आवेदनपत्र में किए गए अभिवचनों को इंनकार करते हुए इस बात से इंनकार किया है कि मृतक श्रीकृष्ण शासकीय विभाग में संविदा वर्ग—3 के रूप में सेवा में था तथा उसकी आमंदनी पांच हजार रूपए मासिक थी। इसके अतिरिक्त प्रश्नाधीन वाहन के चालक की लापरवाही व उपेक्षा से कोई भी घटना होने से भी बीमा कम्पनी के द्वारा इंनकार किया गया है। आवेदनपत्र को न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत न होना बताते हुए आवेदकगण के द्वारा गलत रूप से पता लिखाया जाना एवं गलत तथ्य उल्लेख करते हुए दावा पेश किया जाना बताया गया है। प्रकरण में आवश्यक पक्षकारों के असंयोजन

का दोष है। इसके अतिरिक्त अनावेदक क्रमांक 3 के द्वारा अतिरिक्त आपित के रूप में यह भी आधार लिया गया है कि घटना के समय प्रश्नाधीन वाहन क्रमांक एम.पी. 06—बी—2298 के चालक के पास उक्त वाहन को चलाने का कोई वैध एवं प्रभावी झाइविंग लाइसेंस नहीं था जिस कारण बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन होने से बीमा कम्पनी का प्रतिकर अदायगी हेतु कोई दायित्व नहीं है। इसके अतिरिक्त दुर्घटना दिनांक को प्रश्नाधीन वाहन का उपयोग बीमा पॉलिसी की शर्तों के विपरीत यात्री ढोने एवं व्यवसाय के लिए किया जा रहा था, इस कारण भी बीमा कम्पनी का काई दायित्व नहीं प्रतिकर अदायगी का नहीं है। प्रतिकर हेतु प्रस्तुत दावा निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

08. आवेदकपक्ष एवं अनावेदक पक्ष के अभिवचनों के आधार पर निम्न वाद प्रश्नों की रचना की गयी है जिस पर निकाले गये निष्कर्ष उनके सामने अंकित किये जा रहे हैं –

प्रकरण कमांक 34/13 क्लेम

<u> 4 </u>		
क्रमांक	वाद प्रश्न	निष्कर्ष
1	क्या दिनांक 15.09.13 को 01:30 बजे दोपहर मेहगांव गोरमी रोड दोनियाँ पुरा के सामने अनावेदक क. 1 के द्वारा वाहन मैक्स मार्शल क. एम.पी. 06—बी—2298 को तेजी व लापरवाही से चलाकर श्रीकृष्ण की मोटरसाइकिल में टक्कर मारकर उसकी मृत्यु कारित की?	
2	क्या मृतक श्रीकृष्ण शिक्षाकर्मी के रूप में पदस्थ होकर पांच हजार रूपए मासिक आमंदनी प्राप्त करता था?	
3	क्या घटना दिनांक को प्रश्नाधीन वाहन मैक्स मार्शल कमांक एम.पी. 06—बी—2298 बीमा पॉलिसी एवं मोटर विकल एक्ट के प्रावधानों का उल्लघन कर चलायी जा रही थी? यदि हॉ तो प्रभाव?	
4	क्या आवेदिकगण क्षतिपूर्ति की राशि प्राप्त करने के अधिकारी है यदि हॉ तो किससे एवं कितना?	
5	सहायता एवं व्यय?	

प्रकरण कमांक 04/14 क्लेम

क्रमांक	वाद प्रश्न	निष्कर्ष
1	क्या दिनांक 15.09.13 को 01:30 बजे दोपहर मेहगांव गोरमी रोड दोनियाँ पुरा के सामने अनावेदक क. 1 के द्वारा वाहन मैक्स मार्शल क. एम.पी. 06—बी—2298 को तेजी व लापरवाही से चलाकर आवेदिका को टक्कर मारकर गंभीर उपहति कारित की?	
2	क्या आवेदिका सिलाई व अन्य कार्य कर प्रतिदिन पांच सौ रूपये की आमंदनी अर्जित कर लेती थी?	
3	क्या घटना दिनांक को प्रश्नाधीन वाहन मैक्स मार्शल कमांक एम.पी. 06—बी—2298 बीमा पॉलिसी एवं मोटर व्हीकल एक्ट के प्रावधानों का उल्लघन कर चलायी जा रही थी? यदि हॉ तो प्रभाव?	
4	क्या आवेदिका क्षतिपूर्ति की राशि प्राप्त करने के अधिकारी है यदि हॉ तो किससे एवं कितना?	
5	सहायता एवं व्यय?	

<u>// निष्कर्ष के आधार //</u> <u>प्र0क0 34/13 क्लेम एवं 04/14 क्लेम के बिन्दु क. 1 :-</u>

09. आवेदिका ऊषा देवी आवेदिका साक्षी क्रमांक 1 ने अपने शपथपत्र साक्ष्य कथन में उसके द्वारा किए गए अभिवचनों का समर्थन करते हुए यह बताया है कि घटना दिनांक 15. 09.13 के दोपहर डेढ बजे दोनियाँ पुरा मेहगांव गोरमी मार्ग की है। वह अपने पित के श्रीकृष्ण के साथ मेहगांव से गोरमी के लिए मोटरसाइकिल से आ रहे थे, साथ में छोटा भाई संजय भी

अन्य मोटरसाइकिल पर था। जैसे ही दोनियाँ पुरा के पास पहुँचे तभी गोरमी की तरफ से अनावेदक क्रमांक 1 देवेन्द्र शर्मा मार्शल जीप जिसका रिजस्ट्रेशन क्रमांक एम.पी. 06—बी—2298 को तेजी व लापरवाही से चलाकर लाया और उसके पित की मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी जिससे उसके पित श्रीकृष्ण को चोटें आई, उसके पित की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई थी। घटना में उसे भी चोटें आई थी एवं उसे ग्वालियर रिफर कर दिया गया था। उक्त घटना की रिपोर्ट उसके देवर संजय के द्वारा अस्पताल मेहगांव में लेखबद्ध कराई जिस पर पुलिस थना गोहद के द्वारा आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किया गया एवं न्यायालय में अभियोगपत्र पेश किया गया।

10. आवेदिका के द्वारा अपने शपथपत्र पर प्रस्तुत साक्ष्य में यह भी बताया है कि उक्त दुर्घटना में उसके दाहिने तरफ की पसिलयों में फेक्चर हो गया था और तीन पसिलयों टूट गई थी। उसका प्रारंभिक उपचार मेहगांव अस्पताल में किया गया, तत्पश्चात् उसे जे.ए.एच. ग्वालयर भेज दिया गया जहाँ कि उसका इलाज चला था और वह 12 दिन तक भर्ती रही थी। उपरोक्त दुर्घटना के संबंध में रिपोर्ट उसके देवर संजय के द्वारा की गई थी और पुलिस के द्वारा थाना गोरमी में अपराध क्रमांक 235/13 पंजीबद्ध किया था जो कि अनावेदक क्रमांक 1 के विरुद्ध अभियोगपत्र न्यायालय में पेश किया गया है। आवेदिका के द्वारा अपने आवेदनपत्र के समर्थन में अभियोगपत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र.पी. 1, प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति प्र.पी. 2, देहातीनालसी रिपोर्ट की प्रति प्र.पी. 3, अपराध विवरण फार्म प्र.पी. 4, लाश पंचायतनामा प्र.पी. 5, गिरफ्तारी पंचनामा प्र.पी. 6, सम्पत्ति जप्ती पत्रक प्र.पी. 7, मेडीकल रिपोर्ट प्र.पी. 8, मैकेनिकल जॉच रिपोर्ट प्र.पी. 9, सुपुर्दगीनामा प्र.पी. 10, डिस्चार्ज टिकिट प्र.पी. 11, मेडीकल पर्चे एवं बिल प्र.पी. 12 लगायत 26 की प्रमाणित प्रतिलिपि पेश की गई है।

11. आवेदिका जो कि घटना की आहता होकर चक्षुदर्शी साक्षी भी है के प्रतिपरीक्षण में यह आया है कि टक्कर मारने के बाद जिस गाड़ी ने टक्कर मारी थी वह भागी नहीं थी उसके पित उसमें फंस गए थे। रिपोर्ट उसके देवर के द्वारा लिखाई गई थी। यद्यपि टक्कर मारने वाली गाड़ी का का नम्बर उसे नहीं पता होना वह बता रही है। निश्चित तौर से साक्षिया जो कि दुर्घटना में घायल हो गई थी और उसके पित की भी मृत्यु हो गई थी और टक्कर सामने से मारी गई। साक्षिया जो कि कम पढ़ी लिखी ग्रामीण परवेश की महिला है उससे यह आशा भी नहीं की जा सकती कि वह जीप का नम्बर देखकर उसे याद रख सके। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में इस सुझाव को गलत बताया है कि घटनास्थल पर उनकी मोटरसाइकिल अपने आप गिर पड़ी है और इस सुझाव से भी इनकार किया है कि जिस मार्शल गाड़ी से वे सब लोग बैठकर सुखवासी के पुरा गए थे उसी मार्शल गाड़ी से दुर्घटना घटित हुई थी। इस संबंध

में यह उल्लेखनीय है कि प्रश्नाधीन वाहन मार्शल की जप्ती घटनास्थल से ही घटना के पश्चात् तुरंत की गई है तथा अनावेदक क्रमांक 1 की गिरफ्तारी भी की गई है। उक्त तथ्य भी इस बात की पुष्टि करते है कि वाहन दुर्घटना के बाद घटनास्थल पर ही था।

- आवेदक पक्ष के द्वारा प्रस्तुत अन्य साक्षी संजय आवेदक साक्षी क्रमांक 2 जो 12. कि दुर्घटना के समय दूसरी मोटरसाइकिल से अपने भाई श्रीकृष्ण के साथ जा रहा था तथा जिसके द्वारा घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट देहातीनालसी प्र.पी. 3 की दर्ज कराई गई है के द्वारा भी स्पष्ट रूप से अपने साक्ष्य कथन में दुर्घटना जीप क्रमांक एम.पी. 06-बी-2298 के चालक अनावेदक क्रमांक 1 के द्वारा जीप को तेजी व लापरवाही से चलाकर उसके भाई की मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी और जिससे उसके भाई श्रीकृष्ण और भाभी ऊषा को चोटें आना और श्रीकृष्ण की मृत्यु हो जाना बताया है। साक्षी जिसके द्वारा कि अस्पताल मेहगांव में देहाती नालसी रिपोर्ट लिखाई गई है, रिपोर्ट में मार्शल क्रमांक एम.पी. 06-बी-2298 का उल्लेख आया है। उक्त साक्षी के प्रतिपरीक्षण उपरांत इस संबंध में उसके द्वारा किया गया कथन में कोई विपरीत तथ्य नहीं आया है। निश्चित तौर से उक्त साक्षी जो कि घटना के समय अपने भाई के साथ जा रहा था और घटनास्थल पर पहुँच गया था और उसके द्वारा घटनास्थल पर घायल अवस्था में अपने भाई और भाभी को देखा गया और दुर्घटना कारित करने वाली जीप को भी देखा गया, रिपोर्ट भी उकसे द्वारा स्पष्ट रूप से की गई है जिसमें कि जीप के नम्बर का उल्लेख आया है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी यह स्पष्ट किया है कि दुर्घटना घटित करने वाले वाहन का नम्बर उसने स्वयं देखा था और जिसका नम्बर उसने बताया है।
- 13. साक्षी रामजीलाल आवेदक साक्षी क्रमांक 3 यद्यपि घटना का साक्षी नहीं है, किन्तु घटना के तुरंत पश्चात् उसे दुर्घटना घटित होने के संबंध में पता चला था तथा उसने अपन पुत्र श्रीकृष्ण को मृत अवस्था में मेहगांव हॉस्पीटल में देखा था और पुत्रबधु ऊषा देवी को घायल अवस्था में देखा गया था।
- 14. आवेदक साक्षियों के द्वारा किये गए कथनों की पुष्टि उनके द्वारा प्रस्तुत आपराधिक प्रकरण से प्राप्त दस्तावेजों की सत्यप्रतिलिपि से भी होती है जो कि दुर्घटना के तुरंत पश्चात् अस्पताल मेहगांव में मृतक के भाई संजय के द्वारा प्र.पी. 3 की रिपोर्ट लिखाई गई है जिसमें दुर्घटना कारित करने वाले वाहन के नम्बर का स्पष्ट रूप से उल्लेख आया है। इसके आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी. 2 की दर्ज की गई है, घटना स्थल का नक्शा मौका प्र.पी. 4 से भी इस बात की पुष्टि होती है। जीप चालक के द्वारा सडक के किनारे पर जाकर मोटरसाइकिल में टक्कर मारी गई जो कि प्रश्नाधीन वाहन के चालक के द्वारा उसे उतावलेपन और उपेक्षा पूर्वक चलाए जाने का द्यौतक है। श्रीकृष्ण की मृत्यु के संबंध में शव

का नक्शा पंचायतनामा बनाया गया है जो कि प्र.पी. 5 है तथा प्र.पी. 10 के अनुसार उसके शव का परीक्षण किया गया है जिसमें कि उसके शरीर पर जगह जगह चोटें आने के कारण हेमरेज होने से मृत्यु होने का उल्लेख है। उक्त दुर्घटना में आहत ऊषा को चोटें आकर अस्थिमंग होना प्र.पी. 8 की एक्सरे रिपोर्ट से स्पष्ट है एवं जे.ए.एच. ग्वालियर हॉस्पीटल के डिस्चार्ज टिकिट प्र.पी. 11 से स्पष्ट है। मैक्स मार्शल की जप्ती अनावेदक कमांक 1 से ६ विनांक को की गई है जो कि जप्ती पत्रक प्र.पी. 7 है तथा अनावेदक कमांक 1 की गिरफ्तारी भी उसी दिनांक को की गई है जो कि गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी. 6 एवं मैकेनिकल जॉच रिपोर्ट में भी जप्तशुदा वाहन की लाइट, इंडीगेटर, रेडियेटर टूटे होना और वाहन की वॉडी क्षतिग्रस्त होने का उल्लेख आया है जो कि इस बात की पुष्टि करता है कि उक्त वाहन से दुर्घटना घटित हुई है। जप्तशुदा वाहन को अनावेदक कमांक 2 के द्वारा सुपुर्दगीनामे पर लिया गया है जो कि प्र.पी. 10 के सुपुर्दगीनामे से स्पष्ट है तथा प्रकरण की विवेचना की जाकर अनावेदक कमांक 1 के विरुद्ध धारा 279, 337, 338, 304ए भा0दं0वि0 के अंतर्गत अभियोगपत्र पेश किया गया।

- 15. आवेदक पक्ष के द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त साक्ष्य के प्रतिखण्डन में अनावेदक पक्ष की ओर से कोई भी साक्ष्य पेश नहीं किया है। यहाँ तक कि अनावेदक पक्ष के द्वारा अनावेदक कमांक 1 जो कि दुर्घटना के समय प्रश्नाधीन वाहन के चालक का था का कोई कथन नहीं कराया गया है जो कि इस संबंध में एक सर्वोत्तम साक्ष्य हो सकता था। ऐसी दशा में दुर्घटना कारित करने के तथ्य जो कि अनावेदक कमांक 1 के द्वारा तेजी व लापरवाही से प्रश्नाधीन वाहन को चलाकर दुर्घटना कारित कर मोटरसाइकिल में टक्कर मारने का तथ्य किसी प्रकार से प्रतिखण्डित भी नहीं होता है।
- 16. इस प्रकार प्रकरण में आई हुई साक्ष्य के आधार पर यह प्रमाणित होना पाया जाता है कि घटना दिनांक को अनावेदक क्रमांक 1 के द्वारा अनावेदक क्रमांक 2 के स्वामित्व के वाहन मार्शल क्रमांक एम.पी. 06—बी—2298 को तेजी व लापरवाही से चलाकर श्रीकृष्ण की मोटरसाइकिल में टक्कर मारी जिससे कि उसकी मृत्यु कारित हुई। उक्त दुर्घटना में आहत ऊषा देवी को चोटें आकर उसे गंभीर उपहित कारित होना प्रमाणित होता है। तद्नुसार दोनों ही प्रकरण के बिन्दु क्रमांक 01 को प्रमाणित होना पाते हुए उत्तर "हाँ" में दिया जाता है।

<u>प्र0क0 34 / 13 क्लेम एवं 04 / 14 क्लेम के बिन्दु क. 3 :-</u>

17. वर्तमान बिन्दु को प्रमाणित करने का भार अनावेदक क्रमांक 3 बीमा कम्पनी का है जिसके द्वारा अपने अभिवचन में यह आधार लिया गया है कि दुर्घटना दिनांक को प्रश्नाधीन वाहन जीप के चालक के पास वाहन को चलाने हेतु वैध एवं प्रभावी झाइविंग लाइसेंस नहीं था

तथा इसके अतिरिक्त यह भी आधार लिया गया है कि प्रश्नाधीन वाहन जिसका बीमा प्राइवेट कार के रूप में किया गया है, उसका उपयोग पॉलिसी की शर्तों के विपरीत यात्री ढोहने एवं व्यवसाय के रूप में किया जा रहा था, इस कारण बीमा कम्पनी का कोई दायित्व नहीं है। बीमा कम्पनी के द्वारा उसके द्वारा किये गए अभिवचनों के समर्थन में कोई भी साक्ष्य पेश नहीं की गई है। ऐसी दशा में जबकि बीमा कम्पनी के द्वारा इस संबंध में कोई भी साक्ष्य पेश नहीं की गई है। उनके द्वारा लिया गया आधार प्रमाणित नहीं होता है। तद्नुसार दोनों ही प्रकरणों से संबंधित वर्तमान बिन्दु अप्रमाणित रहते है।

क्लेम प्र0क0 34 / 13 का बिन्दु क. 2 :-

आवेदिका ऊषा देवी आवेदिका साक्षी 1 ने अपने साक्ष्य कथन में बताया कि दुर्घटना के समय उसके पति श्रीकृष्ण संविदा शिक्षाकर्मी वर्ग-3 के पद पर शासकीय प्राथमिक विद्यालय देवीसिंह का पुरा मजरा टीकरी तहसील मेहगांव भिण्ड में पदस्थ था और उस समय उसके पति को पांच हजार रूपए मासिक प्राप्त होते थे। मृतक श्रीकृष्ण शिक्षाकर्मी वर्ग-3 के रूप में पदस्थ होना साक्षी संजय आ०सा० 2, रामजीलाल आ०सा० 3 के द्वारा भी अपने साक्ष्य कथन में बताया गया है। साक्षी रामजीलाल आ०सा० 3 के द्वारा मृतक श्रीकृष्ण की संविदा शाला शिक्षक वर्ग—3 के नियुक्ति के संबंध में असल आदेश प्र.पी. 13 पेश किया गया है। इस बिन्दु पर आवेदक पक्ष के द्वारा साक्षी रामदास मित्तल आ०सा० ४ के कथन कराए गए है जो कि शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गोरमी में प्राचार्य के पद पर पदस्थ है और शंकुल केन्द्र प्रभारी भी है, उनके द्वारा बताया गया है कि शासकीय प्राथमिक विद्यालय देवीसिंह का पुरा जो कि उनके शंकुल केन्द्र के अधीनस्थ है। श्रीकृष्ण शासकीय ई.जी.एस. शाला देवीसिंह के पुरा पर संविदा वर्ग-3 के पद पर पदस्थ था। संविदा शिक्षक वर्ग-3 का निश्चित मानदेय पांच हजार रूपए प्रति माह मिलता है। उन्होंने श्रीकृष्ण की पे-शिल्प पेश की है जो कि प्र.पी. 12 है जिस पर ए से ए भाग पर उनके हस्ताक्षर है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी रामदास मित्तल के द्वारा यह बताया गा है कि पे-शिल्प उनके अधीनस्थ कर्मचारी के द्वारा निकाली गई है, किन्तु मात्र इस आधार पर कि पे-शिल्प उनके द्वारा नहीं निकाली गई है जबकि साक्षी प्राचार्य के पद पर तथा शंकुल केन्द्र प्रभारी के पद पर पदस्थ है और पे-शिल्प पर उनके द्वारा हस्ताक्षर किए गए है, इसके अतिरिक्त नियुक्ति आदेश प्र.पी. 13 से भी श्रीकृष्ण के संविदा शाला शिक्षक वर्ग-3 के पद पर नियुक्त होने की पुष्टि होती है। इस प्रकार श्रीकृष्ण दुर्घटना के समय संविदा शाला वर्ग-3 के पद पर पदस्थ था तथा उन्हें पांच हजार रूपए प्रति माह प्राप्त होना प्रमाणित पाया जाता है। तद्नुसार वर्तमान बिन्दु का निराकरण कर उत्तर ''हॉं' में दिया जाता है।

क्लेम प्र0क0 04 / 14 का बिन्दु क. 02:-

19. आवेदिका ऊषा देवी के द्वारा यह बताया गया है कि वह दुर्घटना के फलस्वरूप सिलाई का काम चार महीने तक नहीं कर पाई थी जिससे कि उसे 20,000/— रूपए की क्षित हुई है। इस संबंध में कि आवेदिका सिलाई का काम कर पांच सौ रूपए आय अर्जित कर लेती थी, किन्तु आवेदिका के द्वारा पांच सौ रूपए प्रति दिन आय अर्जित करने के संबंध में कोई प्रमाण पेश नहीं किया गया है। उसके पास कोई सिलाई की मशीन हो या सिलाई कर वह पांच सौ रूपए प्रतिदिन अर्जित कर लेती हो ऐसा कोई भी प्रमाण पेश नहीं किया गया है। ऐसी दशा में मात्र इस संबंध में आवेदिका के कथन के आधार पर उसके द्वारा पांच सौ रूपए प्रतिदिन आय अर्जित कर लेना प्रमाणित नहीं होता है। तद्नुसार वर्तमान बिन्दु प्रमाणित होना नहीं पाया जाता है।

क्लेम प्र0क0 34/13 का बिन्दु क. 4:—

- 20. प्रकरण में पूर्ववर्ती विवेचना एवं वादप्रश्नों पर निकाले गए निष्कर्ष से यह प्रमाणित होना पाया गया है कि अनावेदक क्रमांक 1 के द्वारा अनावेदक क्रमांक 2 के स्वामित्व के वाहन मार्शल जीप क्रमांक एम.पी. 06—बी—2298 को तेजी और लापरवाही से चलाकर दुर्घटना कारित की है जिसमें कि मृतक श्रीकृष्ण की मृत्यु हुई है। उक्त वाहन अनावेदक क्रमांक 3 बीमा कम्पनी में बीमित है। बीमा पॉलिसी की सत्यप्रतिलिपि प्र.डी. 1 अनावेदक क्रमांक 3 बीमा कम्पनी के द्वारा पेश की गई है, जिसे कि आवेदक ने स्वीकार किया है। इस प्रकार उक्त वाहन अनावेदक क्रमांक 3 बीमा कम्पनी में घटना दिनांक को बीमित था। उक्त दुर्घटना जो कि मोटरयान के उपयोग के दौरान घटित होना स्पष्ट है।
- 21. मृतक श्रीकृष्ण पर आश्रितों का जहाँ तक प्रश्न है। आवेदिका क्रमांक 1 मृतक की पत्नी है और आवेदक क्रमांक 2 व 3 उसकी नावालिग पुत्रियां है और आवेदक क्रमांक 4 नावालिग पुत्र है तथा आवेदक क्रमांक 5 मृतक का पिता है एवं आवेदक क्रमांक 6 उसकी माँ हैं । आवेदक क्रमांक 5 रामजीलाल जो कि मृतिका का पिता है के आश्रित होने का जहाँ तक प्रश्न है उसके द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि वह सी.आर.पी.एफ में सेवा में था और वर्तमान में सेवा निवृत्त होकर उसे 7500/— रूपए पेंसन मिल रहा है। ऐसी दशा में आवेदक क्रमांक 5 जो कि सेवा में था एवं जिसे पेन्सन प्राप्त हो रही है। वह मृतक पर आश्रित होना नहीं माना जा सकता। इस प्रकार मृतक पर आश्रितों में उसकी पत्नी और उसके नावालिक पुत्र व पुत्रियाँ जो कि संख्या में तीन तथा उसकी माँ आवेदिका क्रमांक 6 है जो कि कुल संख्या में 5 सदस्य है।

- 22. मृतक श्रीकृष्ण संविदा शाला शिक्षक वर्ग—3 के रूप में पदस्थ था जो कि मृत्यु के समय पांच हजार रूपए प्रतिमाह उन्हें प्राप्त होता था। यद्यपि मृतक संविदा शिक्षक के पद पर पदस्थ था जो कि स्थाई पद नहीं कहा जा सकता। इस प्रकार वह संविदा के रूप में एक निश्चित वेतन पर कार्यरत था जो कि पांच हजार रूपए प्रति माह उसका वेतन था। दुर्घटना के समय मृतक की उम्र 33 वर्ष की होना उसकी हाई स्कूल की अंकसूची प्र.पी. 14 से स्पष्ट होता है।
- इस प्रकार मृतक की मृत्यु के कारण उसकी आमंदनी के नुकसान के मद में प्राप्त होने वाली प्रतिकर की राशि का जहाँ तक प्रश्न है, मृतक की मासिक आमंदनी पांच हजार रूपए होनी पाई गई। उस पर आश्रितों की संख्या पांच है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा सरला वर्मा वि० देहली ट्रांसपोट कारपोरेशन 2009 ए.सी.जे. 1298 में प्रतिपादित सिद्धांत के अनुसार 1/5 भाग स्वयं पर व्ययं करेगा। इस प्रकार आश्रितों के नुकसान के मद में 3750/-8 पए प्रति माह जो कि प्रति वर्ष $3750 \times 12 =$ 45,000 / -रूपए होगा। मृतक की मृत्यु के समय उसकी उम्र 33 वर्ष की होनी पाई गई । उसकी उम्र के आधार पर उक्त राशि में 16 का गुणांक लगेगा जो कि कुल राशि 45,000 x 16 =7,20,000 / -रूपए होगा। जहाँ तक भविष्य की संभावना का प्रश्न है, इस संबंध में मृतक कोई स्थाई सेवा में नहीं था केवल संविदा के आधार पर नियुक्त था। ऐसी दशा में जबकि वह मात्र संविदा के आधार पर कार्यरत था उसे भविष्य की संभावनाओं के लिए अलग से कोई प्रतिकर प्रदान किया जाना उचित नहीं है। इसके अतिरिक्त माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्व ारा राजेश वि0 राजबीर 2013 ए.सी.जे. 1403 में दिए गए दिशा निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में आवेदिका क्रमांक 1 जिसके कि पति की मृत्यु हुई है उसे सहचर्य के नुकसान के मद में एक लाखा रूपए प्रतिकर स्वरूप दिलाया जाना तथा अंतिम संस्कार के खर्च के रूप में 25000/- रूपए दिलाया जाना उचित होगा। इस प्रकार कुल प्रतिकर की राशि 8,45,000 / - रूपए होगी। कुल प्रतिकर की राशि पर दावा प्रस्तुति दिनांक से उसकी बसूली तक 6 प्रतिशत ब्याज दिलाया जाना भी उचित होगा। प्रतिकर अदायगी के दायित्व का जहाँ तक प्रश्न है। उक्त प्रतिकर अदायगी का दायित्व अनावेदक क्रमांक 1 लगायत 3 का संयुक्त एवं पृथक पृथक रूप से होगा।
- 24. तद्नुसार वर्तमान वादिबन्दु का निराकरण कर अनावेदकगण को संयुक्त एवं पृथक पृथक रूप से आवेदकगणों को कुल प्रतिकर की राशि 8,45,000/— रूपए दिलाया जाता है। उक्त राशि की अदायगी का दायित्व अनावेदक क्रमांक 1 लगायत 3 का संयुक्त रूप से होगा। तद्नुसार वर्तमान बिन्दु का निराकरण किया जाता है।

क्लेम प्र0क0 04/14 का बिन्दु क. 4:-

25. प्रकरण में पूर्ववर्ती विवेचना एवं वादप्रश्नों पर निकाले गए निष्कर्ष से यह प्रमाणित होना पाया गया है कि अनावेदक क्रमांक 1 के द्वारा अनावेदक क्रमांक 2 के स्वामित्व के वाहन मार्शल जीप क्रमांक एम.पी. 06—बी—2298 को तेजी और लापरवाही से चलाकर दुर्घटना कारित की है जिसमें कि आवेदिका को चोटें आकर उपहित कारित हुई है। उक्त वाहन अनावेदक क्रमांक 3 बीमा कम्पनी में बीमित है। बीमा पॉलिसी की सत्यप्रतिलिपि प्र.डी. 1 अनावेदक क्रमांक 3 बीमा कम्पनी के द्वारा पेश की गई है, जिसे कि आवेदक ने स्वीकार किया है। इस प्रकार उक्त वाहन अनावेदक क्रमांक 3 बीमा कम्पनी में घटना दिनांक को बीमित था। उक्त दुर्घटना जो कि मोटरयान के उपयोग के दौरान घटित होना स्पष्ट है।

आवेदिका ऊषादेवी जो कि दुर्घटना में घायल हो गई थी और जिसे कि इलाज हेतु दिनांक 17.09.13 से 27.09.13 तक जे.ए.एच. ग्वालियर में भर्ती रहना पडा था जहाँ कि उसका इलाज चला था। उक्त आहता के पसलियों में फ्रेक्चर हो गया था जिसका इलाज चला था। आवेदिका की पृथक से कोई आमंदनी होना प्रमाणित नहीं है और न ही आवेदिका को कोई स्थाई असशक्तता कारित हुई है। ऐसी दशा में पृथक से आमंदनी के नुकसान के मद में आवेदिका को कोई राशि दिलाया जाना उचित नहीं है। आवेदिका के इलाज के संबंध में जो बिल, पर्चे पेश किए गए है वह 8440/- रूपए के है। उक्त राशि आवेदिका को दिलाया जाना उचित है। उक्त बिल की राशि के अतिरिक्त आवेदिका जिसकी कि पसलियों में फ्रेक्चर होने से इलाज चला है और वह दस दिन तक ए.ए.एच. में भर्ती रही है। इलाज के दौरान आवेदिका को आने जाने में व्यय हुआ होगा और पोस्टिक आहार का भी सेवन करना पड़ा होगा तथा उसे शारीरिक और मानसिक कस्ट भी सहन करना पड़ा होगा। उक्त सभी मदों में 25000 / — रूपए दिलाया जाना उचित होगा। इस प्रकार कुल प्रतिकर की राशि 33440 / - रूपए उचित प्रतिकर होगा। उक्त राशि पर दावा प्रस्तुति दिनांक से बसूली तक 6 प्रतिशत ब्याज भी आवेदिका को दिलाया जाना उचित होगा। प्रतिकर अदायगी के दायित्व का जहाँ तक प्रश्न है। उक्त प्रतिकर अदायगी का दायित्व अनावेदक क्रमांक 1 लगायत 3 का संयुक्त एवं पृथक पृथक रूप से होगा। तद्नुसार वर्तमान वाद बिन्दु का निराकरण कर अनावेदकगण को संयुक्त एवं पृथक पृथक रूप से आवेदिका को कूल प्रतिकर की राशि 33440 / – रूपए दिलाया जाता है। उक्त राशि की अदायगी का दायित्व अनावेदक क्रमांक 1 लगायत 3 का संयुक्त रूप से होगा। तद्नुसार वर्तमान बिन्दु का निराकरण किया जाता है।

<u>क्लेम प्र0क0 34 / 13 का बिन्दु क. 5—</u>

प्रकरण में उपरोक्त विवेचना के परिप्रेक्ष्य में वाद बिन्दुओं पर निकाले गए

निष्कर्ष के आलोक में आंशिक रूप से आवेदन पत्र प्रमाणित होना पाया जाता है। आवेदक क्रमांक 1 लगायत 4 तथा आवेदिका क्रमांक 6 के संबंध में आवेदनपत्र स्वीकार किया जाता है कि जबिक आवेदक क्रमांक 5 के संबंध में आवेदनपत्र निरस्त किया जाता है तथा इस संबंध में निम्न आशय का अवार्ड पारित किया जाता है—

- आवेदक क्रमांक 1 लगायत 4 एवं 6 अनावेदकगण से संयुक्त एवं पृथक पृथक रूप से 8,45,000/— रूपए प्राप्त करने के अधिकारी है एवं उक्त राशि पर दावा प्रस्तुति से बसूली तक 6 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज पाने के अधिकारी है |
- 2. प्रतिकर की राशि जमा होने पर उसमें से 75000 / रूपए आवेदिका क्रमांक 6 को एकमुस्त दिलाए जाए जो कि उसे प्राप्त होने वाली राशि का 70 प्रतिशत भाग पांच साल की अवधि के सावधि खाते में जमा कराए जाए। आवेदिका क. 1 ऊषा देवी 300000 / रूपए प्राप्त करने की अधिकारिणी है जो कि उसे प्राप्त होने वाली राशि का 30 प्रतिशत भाग पांच वर्ष की अवधि के लिए तथा 30 प्रतिशत भाग सात वर्ष की अवधि के लिए सावधि खाते में जमा किए जाए जिसका कि छमाई रूप से ब्याज प्राप्त करने की वह अधिकारिणी होगी। शेष 40 प्रतिशत भाग बचत खाते के माध्यम से नगद भुगतान किया जाए। उक्त राशि के उपरांत बची हुई राशियां आवेदक क्रमांक 2 लगायत 4 को बराबर बराबर प्राप्त करने के अधिकारी होगे जो कि उनके नावालिग होने से उनको प्राप्त होने वाली राशि उनकी माँ सरपस्त श्रीमती ऊषा देवी के माध्यम से उनके वालिग होने तक राष्ट्रीकृत बैंक के सावधि खाते में जमा किए जाए। उक्त राशि पर प्राप्त होने वाले ब्याज को उनकी माँ ऊषा देवी तिमाही रूप से उक्त नावालिकों के भरण पोषण हेतु प्राप्त करने की अधिकारिणी होगी।
- 3. अभिभाषक शुक्ल एक हजार रूपए निर्धारित किया जाता है। तद्नुसार व्यय तालिका बनायी जाये ।

क्लेक प्र.क. 04/14 का बिन्द् कमांक 5:-

- 28. प्रकरण में उपरोक्त विवेचना के परिप्रेक्ष्य में वाद बिन्दुओं पर निकाले गए निष्कर्ष के आलोक में आंशिक रूप से आवेदन पत्र प्रमाणित होना पाया जाता है। इस संबंध में निम्न आशय का अवार्ड पारित किया जाता है—
 - आवेदिका उषा देवी अनावेदकगण से संयुक्त एवं पृथक पृथक रूप से 33440 / – रूपए प्राप्त करने की अधिकारिणी है।

- 2. आवेदिका उक्त राशि पर 6 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज पाने की अधिकारिणी है।
- 3. उक्त राशि जमा होने पर 60 प्रतिशत भाग तीन वर्ष की अवधि के लिए उसके सावधि खाते में जमा की जाए, शेष 40 प्रतिशत राशि बचत खाते के माध्यम से नगद भुगतान की जाए।

अधिनिर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टाईप किया गया

(डी०सी०थपलियाल) अति०मोटर दुघर्टना दावा अधि० गोहद जिला भिण्ड (डी0सी0थपलियाल) अति0मोटर दुघर्टना दावा अधि0 गोहद जिला भिण्ड